न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 1292/2021 निर्णय दिनांक :– 29/11/24

उनवानी प्रार्थना पत्र :

.....हरिकराम.....बनाम तहसीलदार.....देवली.....

उपस्थिति :–

.....प्रार्थी..... तहसीलदार.....देवली.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

: : आदेश : :

प्रार्थी.....हरिकराम.....निवासी.....मेड़ियाकुर्द.....ने प्रशासन गांवो के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम.....मेड़ियाकुर्द..... जमाबंदी सम्वत.....2076 के बाद.....के खाता संख्या.....357.....में दर्ज प्रार्थी का नाम..... .....श्योराम.....के स्थान पर.....हरिकराम..... दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार.....देवली.....से कराई गई। तहसीलदार.....देवली.....ने पटवार हल्का .....[illegible].....व भू0अ0नि0.....[illegible].....की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जांनकारी ली गई। तहसीलदार.....देवली.....से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप –6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांकः– 4(1)राज–6/2002/19 के तहत तहसीलदार.....देवली..... को वाके ग्राम.....मेड़ियाकुर्द.....जमाबंदी सम्वत.....2072-75 के खाता संख्या.....357.....में दर्ज.....श्योराम..... .....के स्थान पर .....हरिकराम..... दुरूस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार.....देवली.....को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प-.....देवली.....में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner